SANGAM International Journal of Multidisciplinary Research

Vol. 01, Issue 02, March (2024) **E-ISSN: 2584-086X**

सोशल मीडिया पर हेट स्पीच : प्रवृत्ति एवं निवृत्ति

डॉ. जोरावर सिंह राणावत[1*]

1* राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.)

e-mail: ranawatjorawarsingh@gmail.com

Available online at: www.sijmr.org

शोध सार

मनुष्य के जीवन में संचार का अत्यधिक महत्त्व है। संचार से ही मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्त करता है और इस से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास भी होता है। इसी वजह से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाहित किया गया है। संचार माध्यमों के विकास के साथ मनुष्य का जीवन और संचार और भी आसान हो गया है तथा इससे मनुष्य सम्पूर्ण विश्व से बहुत ही आसानी से संवाद स्थापित कर पा रहा है। परन्तु संचार माध्यमों के विकास के साथ कुछ दुर्गुण भी विकसित हो रहे हैं जिनमें से एक सोशल मीडिया पर घृणापूर्ण भाषण है।

प्रस्तुत शोध आलेख के माध्यम से वर्तमान के इस गंभीर विषय पर चर्चा की गई है। आलेख में घृणापूर्ण भाषण को परिभाषित कर इससे सम्बंधित आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए विषय की गंभीरता पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय कानूनों में इससे सम्बंधित प्रावधानों को संदर्भित करते हुए समय की मांग के अनुसार नए कानूनों से सम्बंधित सुझाव प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास भी इस आलेख में किया गया है।

बीज शब्द– इन्टरनेट, सोशल मीडिया, घृणापूर्ण भाषण, भारतीय दण्ड संहिता, पुलिस, विधि आयोग, भारतीय संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, संचार माध्यम आदि।

''किसी किश्ती पर अगर फर्ज का मल्लाह
ना हो तो फिर,
उसे दरिया में डूब जाने के सिवाय और
कोई चारा नहीं।''

– मुंशी प्रेमचंद

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

I.प्रस्तावना

संचार मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। विश्व की अधिकांश गतिविधियाँ संचार पर ही टिकी हुई हैं। समय के साथ मनुष्य ने संचार की नई तकनीकें विकसित की हैं जिसमें संभवतः इशारों से संचार प्राथमिक विधि रही होगी। इसके पश्चात् चित्रकारी, लिपि, भाषा, भाव आदि विधियों का विकास हुआ है।**फ्रेड लुथांस** के अनुसार–'' कुछ अनुमानों के अनुसार मनुष्य–जीवन के तीन–चौथाई भाग में संचार का प्रयोग होता है।''[1]21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने संचार की गति को और तीव्र भी कर दिया है, साथ ही इसके महत्व को भी बढ़ा दिया है। संचार का ही एक आधुनिक रूप सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें इंटरनेट व मोबाईल भी शामिल हैं, मनुष्य के व्यावसायिक, निजी एवं दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गयी है। यह व्यक्ति को व्यक्ति से और पूरे तंत्र से जुड़ने की एक अभूतपूर्व स्वतंत्रता और अवसर प्रदान करती हैतथाप्रत्येक व्यक्ति के अनुसार संचार की संरचना का निर्धारण करती है। संचार के इसी माध्यम को सोशल मीडिया कहते है जो व्यक्तियों के जुड़ने के तरीके तथा सूचनाओं को लोगों तक पहुँचाने और वितरण में एक क्रांतिकारी माध्यम के रूप में उभरा है।**संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार** के अनुसार वृहद रूप में सोशल मीडिया को किसी वेब या मोबाईल आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि किसी व्यक्ति या संस्था को सहभागी रूप से संचार करने तथा उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री को आदान–प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है।[2]

सामान्यतः सोशल मीडिया को सोशल नेटवर्किंग साइट के सामानार्थक रूप में प्रयोग किया जाता है परन्तु यह इसका एक प्रकार मात्र है। **काप्लान एवं हैंलीन** द्वारा वर्ष 2010 में दिये सोशल मीडिया के वर्गीकरण में इसके छः प्रकार बताये हैं जिनमें सोशल नेटवर्किंग, जैसे– फेसबुक, ब्लॉग व माइक्रोब्लॉग, जैसे– ट्वीटर, कंटेट कम्युनिटीज़, जैसे– व्हाट्सएप,व्लॉग या विडियो शेयरिंग साइट, जैसे– यूट्यूब, विकी, जैसे–विकीपिडिया तथा वर्चुअल गेम वर्ल्ड, जैसे–पबजी इत्यादि सम्मिलित हैं।[3]

II.सोशल मीडिया पर हेट स्पीच

सोशल मीडिया की दो विशेषताओं ने इसे लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है– पहली, उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सामग्री को अन्य पढ़ने वालों द्वारा विस्तारित किया जा सकता है और दूसरी, सूचनाओं को फैलाने तथा इसे नियंत्रित न कर सकने की घातक क्षमता जिसे वायरल कहते हैं। इन विशेषताओं ने जहाँ विश्व में अरब स्प्रिंग, यूक्रेन क्रांति, लीबिया क्रांति जैसी क्रांतियों को विश्वस्तर पर पहुँचाकर विश्व समुदाय का समर्थन प्राप्त किया है वहीं दूसरी

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

और इसके द्वारा फैलाई गई गलत सूचनाओं ने मॉब लिंचिंग जैसे कई रूपों में सैंकड़ों लोगों की जान भी ली हैं। भारत में भी इसके दोनों प्रकार के प्रभाव देखे गये हैं।वहीं **'हेट स्पीच'**सोशल मीडिया की इन्हीं विशेषताओं का नकारात्मक परिणाम है।

भारतीय दण्ड संहिता (धारा 153क, 295क व 298) के अनुसार परिभाषित करने परसामान्यतः हेट स्पीच प्राथमिक रूप से वंश, जाति, लिंग, यौन अभिव्यक्ति, धार्मिक मान्यता जैसे आधारों पर किसी विशेष समूह के प्रति घृणा भड़काना है। यह भय, चेतावनी या हिंसा भड़काने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा बोले या लिखे गये शब्द, इशारे या अन्य किसी दृश्य–श्रृव्य माध्यम से किया गया प्रदर्शन है।[4]

21वें विधि आयोग के अनुसार–''हेट स्पीच शब्द निरपवाद रूप से उस अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो अपमानजनक, अनादरपूर्ण, धमकी युक्त, प्रताडित करने वाला होता है तथा जो किसी वंश, धर्म, जन्म–स्थान, निवास, क्षेत्र, भाषा, जाति व सम्प्रदाय, लैंगिक अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर विशेष समुदाय के प्रति हिंसा, घृणा और भेदभाव पैदा करने के लिए होता है। तकनीकी के इस युग में जहाँ इंटरनेट पर अनामता किसी व्यक्ति को भ्रामक और भड़काऊ बातें फैलाने की स्वतंत्रता देती है जो कि सम्भवतः हमेशा हिंसा भड़काने के उद्देश्य से नहीं होती है परन्तु समाज में भेदभाव करने की मानसिकता से प्रेरित होती है। इसे सोशल मीडिया पर हेट स्पीच कहा जा सकता है।''[5]

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच से तात्पर्य ऐसी लिखित, विडियो, फोटो, कार्टून या अन्य किसी रूप में सामग्री से है जो किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, रंग, लिंग या अन्य के आधार पर भेदभाव फैलाती हो तथा किसी प्रकार की हिंसा या प्रतिहिंसा को उकसाने, प्रसारित करने, बढ़ावा देने या अन्य किसी प्रकार से समर्थन देने का कार्य करती हो। इसके परिणाम साम्प्रदायिक सद्भावना को नुकसान पहुँचाने, साम्प्रदायिक दंगे, दो सम्प्रदायों के बीच वैमनस्य, विवादों की लम्बी श्रंखला, कानून व्यवस्था को भंग करने और इसके शिकार व्यक्ति की शारीरिक–मानसिक हानि के रूप में सामने आते हैं।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में जहाँ नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दी गयी है वहां इस प्रकार के मामले संभवतः ज्यादा हैं क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और हेट स्पीच के बीच के अन्तर को विधिक प्रावधानों और कठोर नियंत्रण के अभाव में नागरिक समझ नहीं पाते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इसकी संभावना और भी बढ़ जाती है क्योंकि इसके स्थान से दूसरे स्थान के मध्य भाषा, रहन–सहन,

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

बोली, शारीरिक बनावट और ऐसी अन्य कई विभिन्नतायें पायी जाती है ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया द्वारा बच्चा चोरी, गो–मांस, गोरक्षक, धार्मिक कटुता, लव–जिहाद जैसे मुद्दों पर भ्रामक और भड़काऊ बातें फैलाने के कारण आमजन में अकारण ही शक पनप जाता है। वहीं कई राजनीतिक दल या व्यक्ति भी अपने निजी स्वार्थ के लिए और जन समर्थन प्राप्त करने के लिए ऐसी सामग्री का सहारा लेते हैं। चूंकि आमजन तक सोशल मीडिया की पहुँच अन्य माध्यमों से अधिक है और प्रसार की क्षमता भी तीव्र है अतः ऐसी भ्रामक और भड़काऊ सामग्री का प्रसार भी तुरन्त होता है। चुनावों के समय इस प्रकार की हेच स्पीच के मामले किसी विशेष जाति, धर्म या सम्प्रदाय के मतदाताओं को लुभाने के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा आते हैं। यहाँ तक कि कई सांसदों और विधायकों पर भी इस प्रकार के मामले दर्ज हैं। इस प्रकार की हेट स्पीच देश में मॉब लिंचिंग, साम्प्रदायिक दंगे, घृणास्वरूप हत्या, अकारण टकराव व वैमनस्य, साम्प्रदायिक व जातीय सद्भावना को हानि, जातिगत भेदभाव व टकराव आदि जैसे कई विषयों को उकसाने, बढ़ाने और प्रेरित करने का कार्य करती है।

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा **द वाशिंगटन पोस्ट** में दिसम्बर, 2018 में **जॉफरी एवं हार्वेल** के लेख से लगायी जा सकता है जिसमें उन्होंने वर्ष 2018 को 'ऑनलाइन घृणा का वर्ष' घोषित करते हुए बताया कि फेसबुक ने ट्रान्सपेरेंसी के तहत घोषणा की है कि अकेले जुलाई–सितम्बर माह में 30लाख ऐसी पोस्ट हटायी गयी जो घृणा फैला सकती थी जिनकी संख्या जुलाई–सितम्बर, 2019 में आते–आते 70 लाख हो गयी है।इसी तरह यूट्यूब ने जून, 2019 तक एक लाख विडियो और 17 हजार हेट स्पीच वाले चैनल को हटाया है।[6]वहीं स्टेटिस्टा वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने वर्ष 2020 की पहली तिमाही से लेकर वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही तक कुल 196.1 मिलियन घृणापूर्ण सामग्री पर कार्यवाही की है जिसमें सर्वाधिक 31.5 मिलियन सामग्री पर वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में कार्यवाही की गई है।[7] यह वह समय था जब कोरोना की दूसरी लहर सर्वाधिक उफान पर थी।

स्टेटिस्टा वेबसाइटके अनुसार भारत में वर्ष 2015 से 2019 तक 902 मामले हेट स्पीच के हुए हैं जिसमे सर्वाधिक 619 मामले अल्पसंख्यकों के विरूद्ध हुए हैं।[8] इनमें सर्वाधिक 92 मामले वर्ष 2018 में हुए हैं।इस आँकड़ों से यह संभावना दिखती है कि हेट क्राइम के मामलों में से 275 या इससे अधिक मामले सोशल मीडिया द्वारा हेट क्राइम को हेट स्पीच द्वारा भड़काने के हो सकते हैं। फेसबुक की मातृ कंपनी मेटा ने वर्ष 2022 की 'क्वार्टरली इंटीग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट' में यह दर्शाया है कि भारत में दूसरी

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

तिमाही में 13.5 मिलियन तथा तीसरी तिमाही में 10.6 मिलियन घृणापूर्ण सामग्री को चिह्नित किया गया है।[9]

एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में सितम्बर, 2015 से जून, 2019 के बीच हेट क्राइम के 902 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें से 181 मामले अकेले वर्ष 2019 के हैं, इन मामलों में कुल 37 लागों की जान गई है।[10] वहीं दूसरी ओर इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 में प्रथम लॉकडाउन (22 मार्च से 16 अप्रेल) में अकेले राजस्थान में सोशल मीडिया पर भ्रामक–भड़काऊ संदेश, कोरोना वायरस को सम्प्रदाय विशेष से जोड़कर वैमनस्य फैलाने के 113 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 99 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।[11] उपर्युक्त आँकड़ों से पूरे देश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

आन्ध्रप्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता श्री के. एन. गोविंदाचार्य ने मार्च, 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया कम्पनियाँ अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को दुरूपयोग कर रही हैं और भारतीय कानून का पालन नहीं कर रही हैं। इनके अनुसार भारत सरकार को इन कम्पनियों पर एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में अनिवार्य किया गया है, जो इन प्लेटफॉर्म से फर्जी समाचार और हेट स्पीच को हटाये। इसके पीछे उन्होंने कारण स्पष्ट किया है कि समय पर ऐसी सामग्री को नहीं हटाये जाने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी समाचारों को रोकने के लिए कार्यवाही किये जाने तक दंगे और हिंसा हो ही जाती है।[12]वहीं दूसरी ओर मार्च, 2020 में हेट स्पीच से सम्बंधित मामलों की सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय ने अपनी तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय को प्राधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी बड़ी सोशल मीडिया कम्पनियों ने फरवरी, 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सामाचारों, हेट स्पीच जैसी सामग्री पर नियंत्रित करने के लिए 'Information Trust Alliance (ITA)' बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस संगठन में डिजिटल प्लेटफॉर्म के समूह, प्रकाशक, तथ्य विश्लेषक, शैक्षणिक समुदाय और सिविल सोसायटी के सदस्य शामिल होंगे तथा यह इंटरनेट एवं मोबाईल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के साथ सम्बद्ध रहेगा। देश में समय–समय पर इस तरह के कई प्रस्ताव व गतिविधियाँ सामने आ रहे हैं परन्तु अबतक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाये हैं।

III.हेट स्पीच पर नियंत्रण की आवश्यकता

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में कुल 1145.50 मिलियन मोबाइल तथा 25.23 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं।[13] जो कि देश की लगभग 84

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

प्रतिशत् आबादी के बराबर है। भारत विश्व में चीन के बाद सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता देश है जहाँ सितम्बर, 2022 में 850.94 मिलियन व्यक्ति सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ता हैं जिनमें से 627 मिलियन मोबाइल इन्टरनेट उपभोक्ता हैं, जो औसतन 6.23 घण्टे प्रतिदिन इंटरनेट का उपभोग करते हैं।[14] देश में लगभग 467 मिलियन सोशल मीडिया उपभोक्ता हैं जिनकी पिछले एक वर्ष में 40 प्रतिशत् वृद्धि हुई है तथा प्रत्येक भारतीय औसतन 2.50 घण्टे प्रतिदिन सोशल मीडिया पर व्यतीत करता है। सोशल मीडिया में लगभग 531.96 मिलियन व्हाट्सएप उपभोक्ता, लगभग 516.92 मिलियन इंटाग्राम उपभोक्ता, लगभग 492.70 मिलियन फेसबुक उपभोक्ता, लगभग 384.06 टेलीग्राम उपभोक्ता, लगभग 296. 87 मिलियन ट्वीटर उपभोक्ता हैं।[15]

उपरोक्त आँकडे भारत की इंटरनेट व सोशल मीडिया पर उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ इनका विवरण वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। भारत में प्रतिवर्ष इंटरनेट व सोशल मीडिया उपभोक्ताओं की वृद्धि दर तीव्र है और यह आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। एक ओर जहाँ यह लोगों को जोड़ने, सेवाओं की प्रदायगी सुगम करने तथा लोगों को जागरूक बनाने के लिए अच्छा माध्यम है वहीं दूसरी और इससे हेट स्पीच जैसे हानिकारक प्रभाव भी बढ़ने की प्रबल संभावना है। भारत जैसे देश में, जहाँ एक और शिक्षा का स्तर कम है तथा जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि की विभिन्नता पायी जाती है जो ऐसे हानिकारक प्रभावों के लिए और भी अनुकूल वातावरण है वहीं दूसरी ओर प्रतिवर्ष इस प्रकार के मामलों में तीव्र वृद्धि हो रही है जिससे इंटरनेट व सोशल मीडिया का नियमन और नियंत्रण भी समय के साथ अनिवार्य होता जा रहा है।

वर्तमान समय में इस विषय पर विचार–विमर्श इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी इससे सम्बंधित प्रयास हो रहे हैं। पिछले दिनों जर्मनी के मंत्रिमण्डल ने इसी प्रकार के एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें सोशल मीडिया पर घृणा अपराधों जैसे कृत्यों से अधिक सख्ती और कुशलता से निपटना प्रस्तावित है। विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क जिनके उपयोगकर्ता की संख्या 20 लाख से ज्यादा है उनके लिए घृणित अभिव्यक्ति वाली सामग्री को 24 घण्टे में हटाना और फेडरल क्रिमिनल पुलिस का सूचित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उस पर 5 करोड़ यूरो जुर्माना लगाया जायेगा। प्रस्तावित विधेयक में हत्या, यौन, शारीरिक अस्तित्व, निजी स्वतन्त्रता या व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति या उससे सम्बंधित लोगों से जुड़े अहम मामलों या वस्तुओं पर दी गई धमकी को दण्डनीय अपराध मानते हुए ऑनलाइन धमकी पर दो वर्ष की सजा व

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त तेज आवाज और आक्रामक रूख के साथ मानहानि मानसिक हिंसा मानी गयी है, साथ ही सोशल मीडिया वेबसाइट पर आपराधिक कृत्यों, यथा– दुष्प्रचार, हिंसा सम्बंधी तैयारी और चित्रण, अपराध की सराहना व मंजूरी को भी अपराध मानते हुए कठोर प्रावधान किये गये हैं। इसी प्रकार फ्रांस में सन् 1881 का प्रेस की स्वतन्त्रता का कानून है जो ऐसी सामग्री की पहचान करता है और फैलने से रोकता है। यूरोपियन यूनियन ने ऐसी कम्पनियों के लिए एक आचार संहिता बनायी है जिसकासख्ती से पालन करवाया जाता है। इसी प्रकार अन्य देशों में भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार ऐसे ही प्रयास किये जा रहे हैं।

IV.**विधिक प्रावधान**

किसी भी देश में नागरिकों को दी जाने वाली जीवन की स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता के लिए नागरिकों की जिम्मेदारीपूर्ण अभिव्यक्ति आवश्यक है क्योंकि स्वयं की स्वतन्त्रता के साथ ही अन्य नागरिकों की या समाज के दुर्बल वर्गों की स्वतन्त्रता का ध्यान रखा जाना भी सभी का कर्तव्य है। परन्तु भारत जैसे भाषा, जाति, धर्म आदि कई आधार पर विविधता वाले देश के लिए यह एक चुनौतिपूर्ण कार्य है।**भारत के 21वें विधि आयोग** द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की किसी विधि में हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है। परन्तु कुछ विधिक प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अपवाद के रूप में कुछ विशेष प्रकार की अभिव्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं जिनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है।

भारत के संविधान का **अनुच्छेद 19 (1)(क)** भारत के सभी नागरिकों को वाक् स्वतन्त्रता और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है तथा **अनुच्छेद 19(2)** इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रिपूर्ण सम्बंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय–अवमानना, मानहानि, अपराध–उद्दीपन के सम्बंध में युक्तियुक्त प्रतिबंध आरोपित करने और इससे सम्बंधित विधि बनाने का राज्य को अधिकार देता है।[16] परन्तु **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015)** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि किसी व्यक्ति के प्रति अभिव्यक्ति से चिड़, असुविधा, खतरा, व्यवधान, अपमान, चोट, आपराधिक धमकी, शत्रुता, घृणा और दुर्भावना पैदा करना उपर्युक्त प्रतिबंध के अन्तर्गत नहीं आता है।[17]

विधि आयोग के अनुसार इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विधियाँ भी इस से सम्बंधित हैं–[18]

1. भारतीय दण्ड संहिता, 1880 की

- धारा 124क– राजद्रोह,

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

- धारा 153क– धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म–स्थान, निवास–स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करना,
- धारा 153ख– राष्ट्रीय अखण्ड़ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान,
- धारा 295क–विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किये गये हों,
- धारा 505 (1)– लोक रिष्टिकारक वक्तव्य,
- धारा 505(2)– विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा करने या सम्प्रवर्तित करने वाले कथन,

2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, 123 (3क) व 125,

3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 7,

4.धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1988 की धारा 3(छ),

5. केबल टेलिविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 की धारा 5 व 6,

6. चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 4,5ख व 7,

7. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95, 124क, 153क,ख,292,293,295क व धारा 107, 144

उपर्युक्त के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011, सूचना प्रौद्योगिकी (तार्किक सुरक्षा कार्यप्रणाली और क्रियाविधि व संवेदनशील निजी डेटा एवं सूचना) नियम, 2011 आदि सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र के नियमन एवं नियंत्रण के लिए हैं। परन्तु उपर्युक्त में से कोई भी विधि हेट स्पीच, सोशल मीडिया पर हेट स्पीच आदि पर नियंत्रित और उससे सम्बंधित किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रावधान नहीं करती है।

V.सुझाव

प्रत्येक देश का कानून उस देश की परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाता है। अतः भारत के सम्बंध में भी यह बात लागू होती है। यद्यपि अन्य देशों द्वारा बनाये जा रहे कानून सन्दर्भ के रूप में प्रयोग किये जा सकते है तथापि मूल कानून देश की वास्तविक स्थिति, संविधान के प्रावधान, पूर्व में मौजूद कानून और कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की क्षमता को ध्यान में

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

रखते हुए बनाया जाना चाहिए। 21वें विधि आयोग ने हेट स्पीच पर अपनी रिपोर्ट (रिपोर्ट न. 267) में यह सुझाव दिया है कि भारत में हेट स्पीच से सम्बंधित कोई कानून नहीं है परन्तु कुछ कानूनों की व्याख्या कर इससे सम्बंधित कार्यवाही की जा सकती है वहीं दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़े अपराधों से सम्बंधित प्रावधान भी कई कानूनों में बिखरे हुए हैं अतः इनमें समन्वय स्थापित करने और एक ही कानून की स्थापना करने की आवश्यकता है। आयोग ने भारतीय दण्ड संहिता के धारा 153 में 'ग' व 505 में 'क' उपबंध जोडने का सुझाव दिया है जो हेट स्पीच को विभिन्न आधारों पर परिभाषित करता है और एक या दो वर्ष की सजा या 5 हजार रूपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान करता है। परन्तु ये सुझाव भी सोशल मीडिया पर हेट स्पीच के बारे में कोई प्रावधान नहीं करते हैं।

सोशल मीडिया पर हेट स्पीच के नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार सोशल मीडिया नेटवर्क पर मध्यस्थ अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिएजो कि हेट स्पीच जैसी सामग्री पर ध्यान रखे और इन्हें प्रसारित होने से रोके तथा तुरन्त प्लेटफॉर्म से हटाकर पुलिस को सूचित करे ताकि उस व्यक्ति पर उचित कार्यवाही हो सके।

देश में सोशल मीडिया पर हेट स्पीच को रोकने के लिए प्रावधान करने से पूर्व सरकार को विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर यह निर्धारित करना चाहिए कि इसके लिए नया अधिनियम बनाया जाये या भारतीय दण्ड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम व अन्य नियमों में इससे सम्बंधित प्रावधान अन्तःस्थापित किये जायें। इनसे सम्बंधित सजा के प्रावधान भी भारतीय दण्ड संहिता में इसके समान अपराधों से समानता लिए होने चाहिए परन्तु इनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी वंश, धर्म, जन्म–स्थान, निवास, क्षेत्र, भाषा, सम्प्रदाय, जाति व सम्प्रदाय, लैंगिक अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर विशेष समुदाय के प्रति हिंसा, घृणा और भेदभाव पैदा करने वाली किसी सामग्री का प्रसार किया जाता है तो उसे संविधान के **अनुच्छेद 15** में प्रदान किये गये समता के अधिकार का हनन मानते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए तथा यदि इस प्रकार की सामग्री से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की हत्या, हत्या का प्रयास या उन पर जानलेवा हमला होता है तो इसे **अनुच्छेद 21** में प्रदान की गई प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का हनन समझा जाना चाहिए।

सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी सामग्री जो भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रिपूर्ण सम्बंधों, लोक व्यवस्था को हानि पहुँचाती हो तो उसे राजद्रोह के रूप में परिभाषित किया जाना

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

चाहिए। ऐसी कोई सामग्री जो किसी प्रकार की हिंसा भड़काने का आह्वान करती हो या हिंसा को प्रेरित करती हो तो उसे भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय आठ के अनुकूल व्यवहारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई व्यक्ति इस प्रकार की सामग्री का समर्थन करता है या उसे प्रसारित करता है तो उसे हिंसा भड़काने में सहयोग करने के रूप में व्यवहारित किया जाना चाहिए।

सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी सामग्री की वजह से यदि किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उसे ऐसी सामग्री प्रसारित करने वाले के विरूद्ध हत्या के आरोप के रूप में व्यवहारित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि ऐसी किसी सामग्री का समर्थन करता है या प्रचारित करता है तो उसे हत्या के सहयोगी के रूप में व्यवहारित किया जाना चाहिए। ऐसी किसी सामग्री से किसी व्यक्ति की हत्या का प्रयास या जानलेवा हमला होता है या गंभीर रूप से घायल होता है तो सामग्री को सोशल मीडिया पर डालने वाले व्यक्ति पर उपर्युक्त अपराध करने के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को हत्या, यौन, शारीरिक अस्तित्व, निजी स्वतन्त्रता या व्यक्तिगत रूप या उससे सम्बंधित लोगों से जुड़े अहम मामलों या वस्तुओं से सम्बंधित किसी प्रकार की धमकी दिये जाने को दण्डनीय अपराध मानते हुए सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी सामग्री की वजह से कोई दंगा या जानमाल की हानि या सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान होता है तो ऐसे नुकसान की भरपाई ऐसी सामग्री प्रसारित करने वाले तथा उसका समर्थन करने वालों से वसूल की जानी चाहिए।

उपर्युक्त प्रावधानों का विहित रीति से विधान के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए तथा इनका क्रियान्वयन करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकरणों को प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। यद्यपि ये सभी प्रावधान अपराध होने के बाद कार्यवाही करने के लिए है। प्रभावी कार्यवाही इस प्रकार के अपराध की ओर झुकाव को रोक सकती है या कम कर सकती है। परन्तु व्यवहारिक रूप से ऐसे माहौल में सुधार के प्रयास भी किये जाने आवश्यक हैं जो इस प्रकार के वक्तव्यों को प्रसारित करने को नैतिक रूप से भी प्रतिबंधित करें। इसके लिए परिवार एवं समाज स्तर पर ऐसा माहौल एवं परवरिश दी जानी चाहिए जो साम्प्रदायिक एवं जातीय सद्भावना को प्रेरित करें। धर्म गुरुओं, जातीय प्रतिनिधियों और राजनेताओं को ऐसे सद्भावना के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो आमजन को इस प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरित करे। सरकार द्वारा भी सोशल मीडिया या मोबाईल फोन साक्षरता

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

(नैतिकता) के अभियाननुमा कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिएँ तथा ऐसे अपराध में लिप्त रहे व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए और यदि वह लोक सेवक है तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे अपराध में लिप्त व्यक्ति की समस्त सरकारी सुविधाएँव सब्सिडी समाप्त कर देनी चाहिए।

VI.निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जहाँ एक ओर सूचना प्रौद्योगिकी ने सम्पूर्ण विश्व को एक वैश्विक गाँव बना दिया है जहाँ पूरा विश्व एक दूसरे के सम्पर्क में है वहीं दूसरी ओर समाज को ऐसे बारूद के ढेर पर भी खड़ा कर दिया है जो घृणा की एक छोटी सी चिनगारी से भी धधकने लगेगा। संचार माध्यमों के विकास से जहाँ सामाजिकता को 'सोशल मीडिया' के रूप में एक नया माध्यम प्राप्त हुआ है जिसने सम्पूर्ण विश्व को एक समाज के रूप में जोड़ दिया है वहीं इसी सोशल मीडिया ने अज्ञात लोगों में वैमनश्य फैला कर अनजाने में ही एक–दूसरे का दुश्मन बना दिया है। ऐसे में वर्तमान समय की यह एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई है कि इन माध्यमों पर एक युक्तियुक्त प्रतिबन्ध स्थापित किया जाये जो कि इनके सिर्फ सकारात्मक उपयोग को सुनिश्चित करे तथा दुरूपयोग करने वालों पर उचित कार्यवाही कर के सामाजिक समरसता को हानि पहुँचाने वालों के विरुद्ध एक उदहारण स्थापित करे।

सन्दर्भ

1. सुरेन्द्र कटारिया, ''प्रशासनिक सिद्धान्त एवं प्रबंध'', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर एवं दिल्ली, पृष्ठ–347, 2020
2. ''फ्रेमवर्क एण्ड गाइडलाइन फॉर यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर गवर्मेंट ऑर्गेनाइजेशन'', इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ–6, अप्रैल, 2012
3. अन्द्रेस एम. कप्लान एवं माइकल हेनलें, ''यूजर्स ऑफ़ द वर्ल्ड , यूनाइट! द चैलेंजेज एंड अपोर्चुनिटीज़ ऑफ़ सोशल मीडिया'', *एल्सेविएर,* वॉल्यूम 53, इश्यू 1, पृष्ठ–53, 59–68, जनवरी–फरवरी 2010
4. ''भारतीय दण्ड संहिता, 1880'', विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ–28–29, 55–56
5. ''घृणापूर्ण भाषण (रिपोर्ट स. 267)'', भारत का विधि आयोग, भारत सरकार, पृष्ठ–8–13,मार्च, 2017
6. जॉफरी, हार्वेल एवं अन्य, ''2018 वाज़ द ईयर ऑफ ऑनलाइन हेट–मीट द पीपल हू लीव्ज इट चेंज'', द वॉशिंटन पोस्ट, दिसम्बर 28, 2018

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

7. ''एक्शन्ड हेट स्पीच कंटेंट आइटम ऑन फेसबुक वर्ल्डवाइड फ्रॉम 4थ क्वार्टर 2017 टू 3ड क्वार्टर 2022'', www.statista.com
8. ''इन्सिदेंट्स ऑफ़ हेट क्राइम अक्रॉस इण्डिया इन फ्रॉम सितम्बर 2015 टू दिसम्बर 2019, बाय आइडेंटिटी ऑफ़ विक्टिम्स'', https://www.statista.com/statistics/980033/identity-of-hate-crime-victims-india/
9. ''क्वार्टरली इंटीग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट'', https://about.fb.com/news/2023/02/metas-integrity-and-transparency-reports-q4-2022/
10. ''हेट क्राइम रिपोर्ट ऑन एन अलार्मिंग राइज– रिवेल्ज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल इण्डियाज़ 'हेल्ट द हेट','' एमनेस्टी इंटरनेशनल इण्डिया, नई दिल्ली, 2019
11. ''मासिक अपराध प्रतिवेदन, राजस्थान पुलिस'' https://home.rajasthan.gov.in/content/homeportal/en/ajmerpolice/crimestatistics/monthlycrimereport.html
12. https://www.thehindu.com/news/national/pegasus-case-govindacharya-asks-supreme-court-to-revive-his-2019-petition/article35922422.ece
13. प्रेस विज्ञप्ति स.43/2022, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2022
14. दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार https://dot.dashboard.nic.in/DashboardF.aspx
15. इण्डिया सोशल मीडिया स्टेटिस्टिक्स 2023, https://www.theglobalstatistics.com/india-social-media-statistics/
16. ''भारत का संविधान'', विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार,पृष्ठ–9–10, 2019,
17. श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद, एआइआर 2015, सर्वोच्च न्यायालय, 1523
18. ''घृणापूर्ण भाषण (रिपोर्ट स. 267)'', भारत का विधि आयोग, भारत सरकार, पृष्ठ–5–7, मार्च,2017,

AUTHORS PROFILE

© 2023, SIJMR All Rights Reserved

संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) के राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग के सहायक आचार्य एवं सहायक अधिष्ठाता पद पर कार्यरत डॉ. जोरावर सिंह राणावत का जन्म 01 जनवरी, 1987 को गाँव– कुँचौली (भोजलाई), तह. मावली, जिला– उदयपुर (राज.) के एक मध्यमवर्गीय ग्रामीण परिवार में हुआ है। लेखक ने विज्ञान में स्नातक एवं लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि भूपाल नोबल्स (बी. एन.) महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) से प्राप्त की है। लेखक ने **''पुलिस की प्रभावशीलता एवं जनसंतुष्टि का अध्ययन''** विषय पर विद्यावाचस्पति (पीएच.डी.) की उपाधि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर से प्राप्त की है। लगभग 8 वर्षों से उच्च शिक्षा में अध्यापनरत डॉ. राणावत ने प्रशासनिक विषयों पर आपकी अब तक 7 पुस्तकें, 9 अध्याय एवं राष्ट्रीय स्तर पर डेढ़ दर्जन से अधिक शोध–पत्र प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। आपको गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा पुलिस विषय पर हिन्दी भाषा में लेखन हेतु वर्ष 2019 में **'पं. गोविन्द वल्लभ पंत राष्ट्रीय पुरस्कार'** से सम्मानित किया गया है।

© 2023, SIJMR All Rights Reserved